

सं. जेड. 28013/05/2016- स्था. III

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15/3/2017

कार्यालय जापन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों का निपटान करने के लिए विभागीय वेतन विसंगति समिति का गठन करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त उल्लिखित विषय का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.08.2016 के कार्यालय जापन संख्या 11/02/2016- जेसीए (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसरण में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों का निपटान करने के लिए अपर सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में एक विभागीय वेतन विसंगति समिति का गठन किया गया है।

2. विभागीय वेतन विसंगति समिति का विस्तृत गठन इस प्रकार है:

कार्यालय पक्ष:

- (i) अपर सचिव (स्वास्थ्य) - अध्यक्ष
- (ii) संयुक्त सचिव (प्रशा.) - सदस्य
- (iii) संयुक्त सचिव (सीएचएस) - सदस्य
- (iv) संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार (जेसीएम से संबंधित मामलों को देखने वाले) - सदस्य
- (v) निदेशक (आईएफडी) - सदस्य
- (vi) डॉ. राजीव सूद, परामर्शदाता, यूरोलॉजी विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य
- (vii) निदेशक (प्रशा.) - सदस्य सचिव

कर्मचारी पक्ष:

- (i) श्री देबाशीष भंडारी, जीएमएसडी कर्मचारी संघ, कोलकाता
- (ii) श्री दिलबाग सिंह, जीएमएसडी कर्मचारी संघ, करनाल
- (iii) श्री सी.आर. पांडा, आरएलटीआरआई कर्मचारी संघ, आस्का
- (iv) श्री अशोक एम. टेकने, कर्मचारी संघ एआईआईपीएमआर, मुम्बई
- (v) श्री गौतम दासगुप्ता, हाईजिन संस्थान कर्मचारी संघ, कोलकाता
- (vi) श्री मोहन लाल, सीआरआई कर्मचारी संघ, कसौली

3. समिति की कार्यप्रणाली कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या दिनांक 16.08.2016 और 20.02.2017 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप होगी।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

अवधेश कुमार सिंह

(अवधेश कुमार सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन सं. (011) 23061323

सेवा में,

अध्यक्ष तथा विभागीय वेतन विसंगति समिति के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) ।
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ।
3. सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
4. सभी संयुक्त सचिव/ उपमहानिदेशक(सांख्यिकी)/मुख्य निदेशक(सांख्यिकी)/ निदेशक(सीजीएचएस)/सभी उपायुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
5. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जेसीए विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
6. डब्ल्यू एवं पीजी अनुभाग को इस विभाग के तहत सभी मान्यता प्राप्त संघों/यूनियनों को सूचित करने हेतु।
7. वेब प्रबंधक को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. ई-ऑफिस के माध्यम से सभी डिवीजन/अनुभाग/डेस्क/सेल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।